संख्या-243/2019/4551/26-3-2019

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ1

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में पी0एल0सी0 आधारित बैक्ट्रोलाजिकल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3143/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ/(359) आर0ओ0/2019-20, दिनांक-25.03.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में पी0एल0सी0 आधारित बैक्ट्रोलाजिक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत 07 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों कादीपुर (सुल्तानपुर), मनौना (बरेली), भरसवां एवं ककोड़ा (कौशाम्बी), कोरांव (प्रयागराज), ओबरा (सोनभद्र) एवं पतरागोला (गोरखपुर) में पी0एल0सी0 आधारित बैक्ट्रोलाजिकल ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किये जाने की प्रशासकीय अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

पृसं0-243/2019/4551 (1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4-सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7-प्रबंध निदेशक,उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संल लि0, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
10-गार्डफाइल

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।